दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 13 सितंबर, 2024

रि.या. (आप.) 762/2024

कैलाश हरिजन .....याचिकाकर्ता

द्वारा: याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री संजय लाओ, राज्य के लिए स्थायी अधिवक्ता (आपराधिक) सह सुश्री प्रियम अग्रवाल, अधिवक्ता।
महिला उप निरीक्षक बिमला, सहायक उप निरीक्षक गोपाल कृष्ण, कॉन्स्टेबल धर्म राज और महिला कॉन्स्टेबल मिंटू।
याचिकाकर्ता की बेटी, पोते के साथ व्यक्तिगत रूप से।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा एम. सिंह
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित शर्मा

<u>न्या. प्रतिभा एम. सिंह</u> (मौखिक)

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड में की गई है।

2. यह याचिकाकर्ता कैलाश हरिजन द्वारा दायर एक रिट याचिका है जिसमें उसकी बेटी सुश्री 'एक्स' और पोते को पेश करने की माँग की गई है, जो 4 नवंबर, 2023 से लापता बताए गए हैं।

3. आज श्री लाओ, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा मामले का उल्लेख किया गया तथा वर्तमान याचिका की शीघ्र सुनवाई के संबंध में एक आवेदन ***आप.वि.आ. ...../2024 (क्रमांकित किया जाना है)*** प्रस्तुत किया गया। न्यायालय को सूचित किया गया है कि याचिकाकर्ता की पुत्री सुश्री 'एक्स' तथा पोते को बिहार में पाया गया है तथा उन्हें आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

4. एंटी ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग यूनिट ('एएचटीयू') द्वारा लिखित 13 सितंबर, 2024 की स्थिति रिपोर्ट आज न्यायालय में सौंप दी गई है और उसे अभिलेख में ले लिया गया है। उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 12 सितंबर, 2024 को लापता लड़की तथा उसके बेटा उसके भाई अमरेश कुमार के घर पर पाए गए, जो ग्राम बड़हरा कोठी, पुलिस थाना बड़हरा, जिला पूर्णिया, बिहार में रहता है।

5. याचिकाकर्ता की बेटी को अपने पिता/याचिकाकर्ता के घर वापस जाने में कोई आपत्ति नहीं है। सुश्री 'एक्स' ने आगे बयान दिया कि उसका विवाह बिहार में श्री बोकू मेहतर से हुआ था। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि बेटी-सुश्री 'एक्स' को छठ पूजा के बाद उसके ससुराल भेज दिया जाएगा।

6. इसके बाद बेटी पिता/याचिकाकर्ता के साथ चली गई।

7. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि उसकी बेटी की चिकित्सकीय परीक्षा की जाए और उसे उपचार दिया जाए क्योंकि वह मानसिक रूप से परेशान प्रतीत होती है।

8. इसे देखते हुए, संबंधित थानाध्यक्ष इस आदेश को याचिकाकर्ता और उसकी बेटी सुश्री 'एक्स' के साथ संबंधित चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष एक बार पेश करके पिता/याचिकाकर्ता को उसकी बेटी सुश्री 'एक्स' को जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में चिकित्सा उपचार दिलाने में सहायता करेगा। इसके बाद अस्पताल उसे उपचार प्रदान करना जारी रखेगा।

9. तदनुसार याचिका का निपटान किया जाता है।

10. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटान किया जाता है।

11. न्यायालय, महिला उप निरीक्षक बिमला, सहायक उप निरीक्षक गोपाल कृष्ण, कॉन्स्टेबल धर्म राज और महिला कॉन्स्टेबल मिंटू द्वारा लड़की सुश्री 'एक्स' और याचिकाकर्ता के पोते का पता लगाने में दिए गए अमूल्य सहयोग और किए गए कार्य की सराहना करना चाहता है।

12. सुनवाई की अगली तिथि रद्द की जाती है।

प्रतिमा एम. सिंह
न्यायाधीश

अमित शर्मा
न्यायाधीश

13 सितंबर, 2024/*एसएन/पीसी/केएस*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*